28-02-2020

वादी एवं प्रतिवादी सं0 09 से 11 तक की हाजरी है। अभिलेख प्रतिवादी सं0 09 से 11 तक के दिनांक–24.05.2019 का रिकॉल आवेदन एवं वादी के दिनांक–01.06.2019 के प्रतिउत्तर पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी सं0 09 से 11 अपने रिकॉल आवेदन दिनांक–24.05.2019 के माध्यम से कथन किये है कि वादीगण के द्वारा यह स्वत्व वाद इन प्रतिवादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध दायर किया गया है,तथा जिसके अनुतोष मे उन्होने माँग किया है कि वादीगण के वाद भूमि पर अधिकार, स्वत्व एवं हित निहीत है, तथा स्वत्व वाद सं0–1363/1964 मे पारित निर्णय एवं डिक्री वादीगण के ऊपर बाध्यकारी नही है।

प्रस्तुत स्वत्व वाद मे प्रतिवादीगण सं0 07 से 11 दिनांक–13.11.2014 को उपस्थित हुए, तथा लिखित कथन दाखिल नही कर पाये, जिसके कारण दिनांक–19.05.2015 को उन्हे लिखित कथन दाखिल करने से वंचित किया गया, तथा इनके विरूद्ध आदेश–8 नियम–10 सी0 पी0 सी0 की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रतिवादीगण सं0 01 से 06 सम्मन लेने से इंकार किये, तथा इनके विरूद्ध दैनिक अखबार, 'दैनिक जागरण' मे प्रकाशन करवाया गया जो कानुन दृष्टिकोण से वैध नही था। उन्होने यह भी कहा है कि अभिलेख के तमाम आदेश फलक के अध्ययन से प्रतित होता है कि प्रतिवादीगण को प्राप्त कराये गये सम्मन का उल्लेख आदेश फलक पर अंकित नही है। जो कि एक पक्षीय कार्यवाही हेतु आवश्यक है। उन्होने यह भी कहा है कि वादी के द्वारा कोई संशोधन वाद–पत्र मे किया जाता है तो संशोधित वाद–पत्र सम्मन के साथ प्रतिवादी हेतु अवश्य संलग्न होना चाहिए। जो कि दिनांक–18.08.2016 को किये गये संशोधन की वाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को नही दी गई। प्रतिवादी सं0–9 से 11 के एक मात्र पैरवी कार प्रतिवादी सं0–09 घनश्यामचंद जो कि 01.11.2014 से 21.05.2019 तक बीमार रहे तथा डॉ0 के द्वारा उन्हे चिकित्सक के द्वारा आराम करने की सलाह दी गई। उन्होने यह भी प्रार्थना किये कि प्रतिवादी का यह वाद बहुत अच्छा है, तथा वे सफ़ल भी होंगे, अगर दिनांक–19.02.2015 के आदेश को रिकॉल नही किया जाता है तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी।